

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, dated the 11th May, 2017.

NOTIFICATION

S.O. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 139AA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that the provisions of section 139AA shall not apply to an individual who does not possess the Aadhaar number or the Enrolment ID and is:-

- (i) residing in the States of Assam, Jammu and Kashmir and Meghalaya;
- (ii) a non-resident as per the Income-tax Act, 1961;
- (iii) of the age of eighty years or more at any time during the previous year;
- (iv) not a citizen of India.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[Notification No. 37/2017, F.No.370133/6/2017-TPL


(Abhishek Gautam)

Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 11 मई, 2017

अधिसूचना

का.आ.....(अ) केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139कक की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित करती है कि धारा 139कक के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जिसके पास आधार नंबर या नामांकन पहचान नहीं है और जो,--

- (i) असम, जम्मू और कश्मीर तथा मेघालय राज्य में निवास करता है ;
- (ii) आय-कर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनिवासी है ;
- (iii) पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है ; और
- (iv) भारत का नागरिक नहीं है ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगी ।

[अधिसूचना सं. 37/2017, फा.सं. 370133/6/2017-टीपीएल]

अभिषेक गौतम

(अभिषेक गौतम)

अवर सचिव, भारत सरकार